राजस्थान सरकार
गृह(ग्रुप–11)विभाग

क्रमांक प. 7 (8) गृह–11/09 जयपुर,दिनांक: 29.04.09
1-05-09

परिपत्र

प्रायः देखा गया है कि विभिन्न रिट याचिकाओं/न्यायिक प्रकरणों को प्रभारी अधिकारियों द्वारा गम्भीरता से नहीं लिया जाता है जिसके कारण अनावश्यक विलम्ब होता है या एक तरफा फैसले हो जाते है ।

कतिपय मामले ऐसे भी सामने आये है कि प्रभारी अधिकारी लम्बे समय तक न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणो की कोई खबर तक नहीं लेते और न ही राजकीय अधिवक्ता अथवा पैनल लॉयर से नियमित सम्पर्क बनाये रखते है, जिससे प्रकरणों में राज्य सरकार के विपरीत पारित निर्णय की समय पर सत्य प्रति प्राप्त कर पुलिस मुख्यालय एवं गृह विभाग को नहीं पहुंच पाती है जिससे वक्त रहते निर्णय के विरूद्ध अपील करने अथवा नहीं करने का समय पर निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं हो पाता है ।

कतिपय मामले ऐसे भी सामने आये है जहां प्रभारी अधिकारी न्यायालय की कार्यवाही का ध्यान नहीं रखते जिससे प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से समय पर जवाब दावा पेश नहीं हो पाता । फलतः न्यायालय द्वारा एक तरफा निर्णय दे दिया जाता है । ऐसे निर्णयों के विरूद्ध राज्य सरकार की ओर से दायर डी.बी. स्पेशल अथवा अपीलें कालतिरोहित होने के कारण अथवा राज्य सरकार का सुस्पष्ट पक्ष प्रस्तुत न होने के कारण खारिज कर दी जाती है ।

विभाग के ध्यान में कुछ मामले ऐसे भी आये है जहां न्यायालय के निर्णय में अनुशासनिक अधिकारी या अपीलीय अधिकारी को कुछ समय सीमा में करने का निर्देश होता है किन्तु समय पर निर्णय की प्रतियां गृह विभाग या पुलिस मुख्यालय को प्राप्त न होने के कारण वांछित कार्यवाही पुलिस मुख्यालय स्तर पर अथवा अनुशासनिक अधिकारी/अपीलीय अधिकारी स्तर पर नहीं हो पाती है जिसके कारण राज्य सरकार अथवा विभाग द्वारा न्यायालय के निर्णयों के अनुसार कार्यवाही न होने से दोषी कर्मचारी बच निकलते है ।

कृ.पृ.उ.